International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 01(III) (Special Issue), January- March, 2026, pp. 190-195

भारत–भूटान सम्बन्ध (स्त्रातेजिक विवेचन)

सूर्यप्रकाश व्यास*

अतिथि शिक्षक, भू–राजनीति एवं रक्षा अध्ययन शोध प्रकोष्ठ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

*Corresponding Author: suryaprakashvyas68@gmail.com

सार

भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा–सा स्थलबद्ध स्वतंत्र राष्ट्र है। इसका आकार प्राकृतिक सुन्दरता के लिए विश्वविख्यात स्विट्जरलैंड के बराबर है। यह राष्ट्रऊंचे हिम आच्छादित शिखरों, अल्पाइन घास के मैदानों और सघन वनों वाली पहाड़ियों और घाटियों की भूमि है। यहाँ कई विशेष पेड़–पौधे और जीव–जंतु पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल 18000 वर्गमील (47000 वर्ग किमी) है। यह राष्ट्र उत्तर में चीन अधिकृत तिब्बत तथा दक्षिण में भारत से घिरा हुआ है। इसके, पश्चिम में भारत का सिक्किम प्रान्त तथा बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसे नेपाल से पृथक् करता है। इसकी उत्तरी तथा उत्तर–पूर्वी सीमा पर तिब्बत और इसके पूर्व तथा दक्षिण में भारत का आसाम प्रान्त है। भूटान भारत के साथ 699 किमी की सीमा बांटता है जिसमें आसाम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम राज्य समिलित है। इसमें डोकलाम का पठार स्थित है जो कि स्त्रातेजिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। यह भारत–भूटान–चीन के तिराहे पर विद्यमान है जो कि भारत के बहुत ही संवेदनशील स्थान–सिलीगुड़ी गलियारे (चिकन नेक) के बहुत ही निकट है। जो कि भारत की मुख्य भूमि को उत्तर–पूर्व के सात राज्यों से जोड़ता है। अतः भारत के लिए भूटान एक महत्त्वपूर्ण स्त्रातेजिक बफर राज्य की भूमिका निभाता है।

शब्दकोशः *चिकन नेक, बफर राज्य, सिनचुला सन्धि, नेबरहुड फर्स्ट नीति, प्रोजेक्ट DANTAK, द्रुक ग्यालपो, उल्फा।*

प्रस्तावना

भूटान चीन के साथ 477 किमी की सीमा साझा करता है। यद्यपि इसका निर्धारीकरण नहीं हो पाया है। चूंगी घाटी सिलीगुडी गलियारे से 500 किमी की दूरी पर है और तिब्बत और सिक्किम के साथ, साझा सीमा के कारण चीन के लिए भू–स्त्रातेजिक महत्त्व रखती है। इसकी राजधानी थिम्फु है। इसकी कुल भूमि सीमा 12012 किमी है। इसकी मुख्य भाषा–ज़ोंगखां, मुख्य धर्म–लामावादी बौद्ध तथा मुख्य जनसंख्या भोटे (भूतिया) लोगों की है। यहां संवैधानिक राजतंत्र है। सम्पूर्ण राष्ट्र को 20 जिलों में प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है। लगभग 5 शताब्दी पूर्व तिब्बत के खामा क्षेत्र से लोग यहां आकर बसने लगे और धीरे–धीरे उन्होंने इसपर नियंत्रण कर लिया। वर्तमान महाराजा के पूर्वजों ने लामाओं के प्रभुत्वको समाप्त कर भूटान पर अपना प्रभाव स्थापित किया।

भारत के साथ संबंधों का प्रारम्भ

भारत–भूटान संबंधों का प्रारम्भ सन् 1865 की सन्धि (सिनचुला सन्धि) के माध्यम से हुआ जो भारत की ब्रिटिश सरकार और भूटान के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा भूटान को भारतीय रियासत का रूप दिया गया था। सन् 1910 में पुनरवा संधि के माध्यम से इन संबंधों को और दृढ़ करने का प्रयास किया गया। इस संधि के

Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

A Special Issue for the papers accepted for publication in the International Multidisciplinary Conference on India's Foreign Policy and International Relations:A Future Roadmap (IFPIR-2026) (Hybrid Mode)(22-24 January 2026) Organized by Geo-Politics &Defence Study Research Cell, Faculty of Arts, Education and Social Sciences, Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan.

अन्तर्गत तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और भूटान को वैदेशिक तथा प्रतिरक्षा के मामलों में भारत के परामर्श को मानने के लिए संधिबद्ध किया। भूटान की स्थिति 'संरक्षित राज्य' सिक्किम से अलगथी।

भारत–भूटान संधि

अगस्त सन् 1949 में भूटान की तत्कालीन सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार के साथ एक नवीन संधि सम्पन्न की गयी जिसमें पुनरवा सन्धि की कई धाराओं को उल्लेखित किया गया। इसमें दोनों देशों के मध्य 'चिरस्थायी शान्ति और मित्रता' को निश्चित करने का विश्वास दिलाया गया और इस संधि के अनुसार भूटान और भारत का सम्बन्ध पहले की तरह बनाये रखने पर बल दिया गया। साथ ही भारत द्वारा भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया गया। संधि के अनुच्छेद–2 में इस बात का उल्लेख किया गया कि भूटान सरकार विदेशी मामलों में मार्गदर्शक के रूप में भारत, सरकार के परामर्श को मानने के लिए सहमत है। भूटान ने इस संधि के द्वारा केवल विदेशनीति का दायित्व ही भारत को सौंपा था। भारत चीन युद्ध के पश्चात् भूटान द्वारा प्रतिरक्षा का दायित्व भी भारत को सौंपा गया।

1950 में भूटानी शासकों ने स्वतंत्र भारत के साथ एक विशेष संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसमें भूटान के तत्कालीन शासक ने नेपाल की तरह द्विपक्षीय संबंधों की असमानता को स्वीकार किया।

नेहरू व इन्दिरा गाँधी कालीन सम्बन्ध

नेहरू व इन्दिरा गाँधी के समय भारत व भूटान के संबंध मित्रवत् बने रहे। भारत ने भूटान को सड़क निर्माण, विद्यार्थियों को शिक्षा देने, आर्थिक सहायता, हैलीपेड़ के निर्माण, भूटान की राजधानी थिम्फू के निर्माण, भूटान के दूसरे प्रमुख नगर पारो के विकास, भूटान में विद्यालय, चिकित्सालय के निर्माण में सहयोग दिया।

साथ ही भारत द्वारा भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाने, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सम्मिलित करने में सहायता की गई। भूटान द्वारा बांग्लादेश संकट के समय भारत का समर्थन किया गया तथा बांग्लादेश को भारत के पश्चात् मान्यता प्रदान की थी। इसके पश्चात् आनेवाली सरकारों के समय में भारत के विदेश मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों तथा भूटान के नरेशों द्वारा परस्पर देशों की यात्राओं के द्वारा संबंधों को दृढ़ करने के प्रयास होते रहे।

मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के पश्चात् भारत–भूटान सम्बन्ध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही प्रथम विदेश यात्रा15–16–जून, 2014 को भूटान की करी थी जो कि उनकी पड़ोसियों को महत्त्व देने की नीतिका प्रमाण थी।

भारतके राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा भूटान की यात्रा, नरेन्द्र मोदी जी की 17–18 अगस्त, 2019 की भूटान यात्रा आदि के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने में सहायता मिली।

इसमें प्रधानमंत्री जी की एक्ट ईस्ट तथा नेबरहुड फर्स्ट नीति का अनुसरण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा भारत–टू–भूटान का नारा दियागया।

भारत और भूटान के मध्य कई क्षेत्रों में सहयोग के रूप में कई परियोजनाएं प्रारंभ की गयी।

भारत द्वारा भूटान को उसके पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत, सड़क, पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाईल फोन नेटवर्क, संस्कृति, संग्रहालयों, छात्रवृत्ति, कृषि, रेल–सम्पर्क क्षेत्र में धन, तकनीकी तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया।

भारत–भूटान सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में रक्षा विशेषज्ञ सुधा रामचन्द्रन का उद्धरण–

"There is no clash of interest in the foreign policies of the two countries. Bhutan is dependent on India. Its geography location is landlock and surrounded by Indian on three sides makes it dependent on India for access to the sea."

भूटान का स्त्रातेजिक महत्त्व

- नेपाल के शासकों का चीन की ओर आकृष्ट होने से भारत को हिमालयी क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाये रखने में भूटान ही एकमात्र सहायक व प्रमुख सहयोगी राष्ट्र होने से महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- सिक्किम और भूटान पूर्व में स्वतंत्र राज्य थे तथा दोनों राज्यों के शाही परिवार आपस में सम्बद्ध रहे हैं। भूटान की जनता भीदलाई लामा को अपना आध्यात्मिक गुरू मानती है।
- भारत व भूटान डोकलाम को भूटान का भाग मानते हैं परन्तु चीन उसे अपना भाग होने का दावा करता है और उस क्षेत्र में ऐसी सड़क का निर्माण कर रहा है जिस पर 40–50 टन के टैंक चल सके जो कि उसके सैन्य व विस्तारवादी नीति का दर्शाता है।
- भूटान द्वारा भारत के साथ सन् 1968 में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए गए। उससे पूर्व 1949 ई. से ही दोनों देशों के मध्य मित्रता संधि हो चुकी थी। भारत के समर्थन से भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना तथा भूटान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का खुलकर समर्थन किया गया।

भूटान का सुरक्षा तंत्र तथा भारत द्वारा इसमें सहयोग

भारत द्वारा भूटान में एक सैन्य प्रशिक्षण अभियान चलाया जाता है जिसे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंगटीम (IMTRAT) के नाम से जाना जाता है। जो शाही भूटानी सेना (RBA) और शाही भूटानी अंगरक्षक दल के लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देने का दायित्व संभालते हैं। शाही भूटानी सेना और शाहीभूटानी अंगरक्षक के अधिकारियों को एन.डी.ए. और आई.एम.ए. में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

प्रोजेक्ट DANTAK जो कि इसकी उपशाखा है, मई 1961 से भूटान में कार्यरत है। तब से इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 1500 किमी से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, यांगफुला में बंद पड़े एयरफील्ड, हेलीपैड और अन्य बुनियादी ढांचागत निर्माण और उसके रखरखाव के दायित्व को निभा रहा है। जबकि ये भारत की स्त्रातेजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ ही साथ भूटान के लोगों के लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी है।

सैन्य शाखाएँ– शाही भूटानी सेना की 5 शाखाएँ हैं, जिनके नाम हैं – शाही भूटानी सेना, राष्ट्रीय मिलिशिया, शाही भूटानी पुलिस, शाही अंगरक्षक दल और वनरक्षक (पैरामिलिट्री)। शाही भूटानी पुलिस (RBP) शाही भूटानी सेना जिसमें शाही अंगरक्षक के लोग भी सम्मिलित हैं और एक राष्ट्रीय मिलिशिया की सहायता से आंतरिक सुरक्षा बनाए रखती है।

शाही भूटानी सेना देश की क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता को आपत्ति काल में मुख्य दायित्त्व निभाती है। भूटान के शासक इसके सर्वोच्च सेनापति (सुप्रीम कमांडर इन चीफ) होते हैं। शाही भूटानी सेना में शाही अंगरक्षक भी सम्मिलित होते हैं जो सशस्त्र बलों की एलीट शाखा है, जो राजा, शाही परिवार और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

- क्षमता – 16 जून 2007 तक शाही भूटानी सेना में 9021 सक्रिय सुरक्षाकर्मी थे। 2008 तक यह संख्या घटकर 8000 सक्रिय सुरक्षाकर्मियों की होने की संभावना थी। 2005 में यह पहल प्रारम्भ की गयी। इस कमी का उद्देश्य शाही भूटानी शक्ति को कम करना और भूटानी जनसंख्या का प्रशिक्षण बढ़ाना है।
- संगठन –शाही भूटानी सेना हल्के शस्त्रों से सुसज्जित बल है जो मुख्य रूप से भारत द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। सेना के सर्वोच्च सेनापति द्रुक ग्यालपो भूटान के शासक होते हैं। नियमित प्रशासनिक कार्य एक मेजर जनरल के स्तर के अधिकारी चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर द्वारा किया जाता है। 1981 से पूर्व चीफ़ ऑपरेशंस ऑफिसर, एक कर्नल स्तर का अधिकारी होता था। संगठनात्मक रूप से सेना मुख्यालय एक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है और सीधे मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य करता है। सेना मुख्यालय थिम्फु में है जबकि प्रशिक्षण केन्द्र टेनचोलिंग में है। इसकी चार ऑपरेशनल विंग है।

- चांगजुखा (गेलेगफंग) में
- दमथुंग में
- गोइनिचावा में
- योनफुला में।

कंपनियों, प्लाटून और सेक्शन में संगठित इस संगठन के सैनिकों का मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए विंगों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

मुख्य शस्त्र व उपकरण – राइफलें–AK.74 (AK–47 क्लोन)
FN&FAL (RFI SLR)
AK-101
AK-104
मोर्टार–81 मिमी

भविष्य की संभावनाएं

प्रतिरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए भूटान का बहुत महत्त्व है। उतरी क्षेत्र की प्रतिरक्षा में भूटान कोभेद्यांग (Achilles Heel) की संज्ञा दी गयी है। चुम्बी घाटी से चीन की सीमाएं केवल 80 मील की दूरी पर है। चीन की विदेशनीति माओके विस्तारवाद पर आधारित है इसलिए चीन न कभी विश्वास योग्य था और न कभी होगा। कूटनीति की दृष्टि से वार्तालाप का दौर चलते रहना चाहिए परन्तु चीन की ओर से सदैव 24 7 सतर्क रहने की आवश्यकता है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति के कारण उसका सभी पड़ौसी राष्ट्रों से सीमा विवाद चल रहा है। भूटान और भारत के मामले में भी ऐसा ही है। भारत व भूटान के कुछ क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता है तथा उन्हें अपने नक्शे में प्रदर्शित करता है। साथ ही चीन, भूटान व भारत के साथ किसी सीमा रेखा को नहीं मानता जो उसके प्रति अविश्वास उत्पन्न करता है। चीन की भूटान में यदि घुसपैठ बढ़ती है तो भूटान के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। चीन की ओर से पशु–चराने की आड़ में भूटान की सीमा का कई बार अतिक्रमण किया कया जाता रहा है। भूटान के कई क्षेत्रों में तिब्बतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भूटान में रहने वाले ये तिब्बती शरणार्थी भूटान के लिए तथा भारत के लिए भविष्य में संकट का कारण बन सकते हैं। यदि चीन भविष्य में भूटान को अपने प्रभाव में लेले, तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकननेक) के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। जो कि केवल 25–30 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसी स्थिति में चीन उत्तर–पूर्व के सातों राज्यों का भारत से संपर्क काटकर उस पर अधिकार कर सकता है। इसलिए, भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्त्रातेजिक शक्ति/सामर्थ्य को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। भारत के सीमावर्ती राज्यों में चीन द्वारा आतंकवादियों की विभिन्न प्रकार से सहायता की जाती है तथा वहां के निवासियों को भारतसरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाया जाता है। चीन की योजना भारत को चारों ओर से घेरने की रही है। इसीरणनीति के अन्तर्गत उसने भारत के पड़ौसी राष्ट्रों में अपने प्रभाव का विस्तार किया तब भारत ने इसके प्रत्युत्तर में चीन के पड़ौसी राष्ट्रों के साथ मित्रता, दक्षिण चीन सागर में प्रभाव विस्तार तथा हिन्द प्रशांत मुद्दों पर आपसी सहयोग के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, चतुष्कोणीय संघ क्वाड का निर्माण किया ताकि चीन का प्रतिकार किया जा सके।

चीन, पाक व अन्य शत्रुराष्ट्र सदैव चाहेंगे की भारत का भूटान के साथ संबंध बिगड़ जाए। इसके लिए वे प्रयासरत भी होंगे। अतः भारत को भूटान के साथ संबंधों में विशेष सावधानी रखते हुए ऐसे कुप्रयासों को विफल करते हुए भूटान के साथ संबंधों को और अधिक दृढ़ करना होगा।

भारत व भूटान के मध्य मतभेद वाले मुद्दे

- सन् 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि की धारा (2) की व्याख्या को लेकर भारत व भूटान के मध्य कुछमतभेद है। जिसके अन्तर्गत यह उल्लेख है कि भारत के द्वारा भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा परन्तु विदेशी मामलों में भूटान को भारत के परामर्श से ही कार्य करना पड़ेगा। भूटान यह मानता है कि सन् 1949 से अब तक में परिस्थितियां बदल चुकी है। अतः इस धारामें संशोधन की आवश्यकता है। भारत यह मानता है कि सन् 1949 की संधि के माध्यम से भारत, भूटान की रक्षा के लिए बाध्य है परन्तु भूटान संधि की इस प्रकार की व्याख्या से असहमत है और इस संधि की धारा 2 पर पुनर्विचार की बात करता है।
- भूटान सन् 1972 के व्यापार समझौते की धारा 5 के अन्तर्गत उसके आयात–निर्यात पर भारत के कानूनों के लागू होने की बात से असहमत है। जिसके बारे में तत्कालीन विदेश मंत्री वाजपेयी द्वारा 1977 में भूटान को आश्वस्त किया गया था कि भूटान के माल पर इसे लागू नहीं किया जाएगा।
- इसी प्रकार भूटान मानता है कि विदेशी पर्यटकों को भूटान आने की अनुमति न मिलने से उसे राजस्व की हानि हो रही है, अतः भारत को इस मामले में उदार नीति अपनानी चाहिए।
- इसी प्रकार कई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भूटान द्वारा भारत से स्वयं को पृथक दिखाने के प्रयास में अलग दृष्टिकोण अपनाया गया। जैसे–कम्पूचिया के निर्गुट देशों में स्थान के मुद्दे पर, परमाणु अप्रसार संधिके मुद्दे पर, चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के मुद्दे पर, भूटान में भारतीय विद्रोही दलों की उपस्थिति तथा सीमा सम्बन्धी मुद्दे। जैसे–उल्फा (असम का यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट), एन.डी.एफ.बी. (बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट और के.एल.ओ. (काम्तापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन)के भूटान में स्थापित 30 शिविर। जहाँ से वे भारत में प्रवेशकर भारतीय सुरक्षा बलों को लक्ष्य बनाते थे। बाद में भूटान की शाही सरकार ने इन पर सैन्य कार्यवाही की थी जिस पर मार्च 2024 में विस्तृत चर्चा की गयी।

निष्कर्ष

- चीन की भूटान में घुसपैठ भारत के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय है। भारत द्वारा भूटान में उसके घुसपैठ तथा प्रभाव विस्तार को रोकने का प्रयास करना चाहिए।
- भूटान की डेमोग्राफी को परिवर्तित करने के प्रयास को भारत द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। वहाँ तिब्बतियों के अवैध प्रसारको नियंत्रित कर उन्हें भूटान से बाहर निकालना चाहिए।
- भूटान की सामरिक स्थिति कालाभ उठाने के लिए चीन के अतिरिक्त अमेरीका, रूस तथा यूरोप के अन्य राष्ट्र भी प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में यदिभूटान को पूर्ण रूप से खोल दिया तो भविष्य में भारत के लिए सुरक्षात्मक सकंट उत्पन्न हो सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए।
- भारत के अपने पड़ौसी देशों के साथ संबंधों में कई परिवर्तन आ रहे हैं। जो कभी मित्र थे वे तटस्थ हो रहे हैं तथा जो तटस्थ थे वे शत्रुता वाली गतिविधियाँ कर रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमें विदेश नीति की समीक्षा करते हुए और उसे सार्वभौमिक के स्थान पर राष्ट्रशः प्रयोग में लाने के लिए निर्धारित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर शक्तिका प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचानाचाहिए।

  राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में–

  क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो।

  उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो।

  अन्यथा नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश भी हमें आँखें दिखाएंगे।
- भूटान के साथ सम्बन्धों में और प्रगाढता लानी होगी। साथ ही भूटान के साथ बड़े भाई के समान व्यवहार करना होगा न कि मालिक या तानाशाह की तरह। आज का समय यह नहीं है, वर्तमान में आप अपने बच्चों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते तो, यह तो एक राष्ट्र है चाहे छोटा ही सही।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. फड़िया, डॉ. बी.एल. व फड़िया डॉ. कुलदीप, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, संशोधित संस्करण–2021, ISBN-978-93-5173-244-0, पृ. 320, 331–337
2. शर्मा, डॉ. मथुरालाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, (since 1945 जव date) पृ. 201–203
3. पंत, डॉ. पुष्पेश व जैन श्रीपाल, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध (सिद्धान्त और व्यवहार) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, ग्यारहवाँ संशोधित संस्करण, 2012, पृ. 478–480
4. पाण्डेय रामसूरत, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पंचम संस्करण–2017, ISBN 978.81.7977.612.4, पृ. 357–360
5. Manas defence year book 2009-2010, General S. Padmanabhan, PVSM, AVSM, VSMC Retd, Former Chief of the Army Staff, India, Lt. Gen S. Pattabhiraman, PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.) Former Vice Chief of the Army Staff, India Manas Publications, India, Singapore, ISBN: 978-81-7049-321-1, Pg.98-100
6. मिश्र, डॉ सुरेन्द्र कुमार, युद्ध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, मॉडर्नपब्लिशर्स, प्रथम संस्करण : 2008, Paper.III, पृ. 7
7. Sharma Urmila, Sharma S.K., International Relations Theory and History (Since World War I II), Volume II, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1997, Page-370,371
8. सिंह डॉ. लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, चौदहवाँ संस्करण : 2021, ISBN 978-93-91984-18-2, पृ. 504–507
9. धनकर'स करेंट अफेयर्स, 15 सितंबर 2017, धनकड़ पब्लिकेशंस प्रा.लि., मेरठ, पृ. 9
10. अरिहंत समसामयिकी महासागर, जनवरी 2022, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इंडिया) लिमिटेड, मेरठ, पृ. 18–20
11. प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, फरवरी 2022, आगरा, पृ. 29
12. समसामयिकी महासागर, अक्टूबर 2019, पृ. 6–8.

❑❑❑